

Before The Hon'ble National Green Tribunal

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 176 of 2022

IN THE MATTER OF :

AMAN CHAUDHARY

..... Applicant.

Versus

UNION OF INDIA

..... Respondent.

ADDITIONAL AFFIDAVIT in COMPLIANCE of Hon'ble Tribunal Order dated
21.03.2024

I, Mala Srivastava, aged about 43 years, w/o Shri Nitin Bansal presently posted as Director, Geology and Mining, U.P. at Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent is presently posted as Director, Geology and Mining and as such is competent to sign and swear in the instant affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.03.2024 has directed that "7. In the facts and circumstances of the case the Director, Geology and mining, Uttar Pradesh and The District Magistrate, Kanpur Nagar are directed to file additional affidavits with complete details at least one week before the next date of hearing hereby fixed and produce the complete original Record pertaining to mining lease in favor of the project proponent before this tribunal on the next date of hearing hereby fixed."
3. That in compliance of the above direction the Director, Geology and Mining sought report from District Magistrate, Kanpur Nagar. District Magistrate, Kanpur Nagar vide letter no. 357/Tees-upkhaniz/2024 dated 05.07.2024 **[Annexure-1]**

Mala Srivastava

9

h

has provided his report. On the basis of report submitted by District Magistrate, Kanpur Nagar, in continuation of affidavit filed on January, 2024 in this matter, further submission is made as below:-

(a) Sand mining lease was executed for a period of 05 years w.e.f 07.04.2018 to 06.04.2023 in favor of m/s Vaishnavi Enterprises proprietor Shri Nagendra Singh, Resident of MIG-2, Mahabalipuram, Kanpur Nagar for the area Village Katri Sunaudha, Tehsil Bilhaur, Gata No. 02 Mi area 10.5 hectare. Thus, the lease expired on 06.04.2023.

(b) As per the report of S.D.M Bilhaur dated 07.12.2020 a flat bandha was found in village Katra atwa located 700 metre to the west of the above lease area. Therefore, F.I.R. crime case no. 0338 dated 08.12.2020 [Annexure-2] was registered at Police station Chaubepur, Tehsil - Bilhaur in which charge- sheet dated 21.06.2021 [Annexure-3] has been filed before Hon'ble ACJM-I court, Mati, Kanpur Dehat against the lessee.

(c) In the joint inspection report of the then Mines Inspector and Tehsildar, Bilhaur dated 05.12.2021 [Annexure-4] it was found that in the lease area the lessee had constructed an unmettled road measuring 10m.X 145m. ~~XIII~~ for the movement of vehicles and by digging earth (soil) to^a depth of 1 ft. using machine as^{med} (मेड) was made alongside the river. In view of the above joint inspection report dated 05.12.2021 notice No. 1058/tees-upkhaniz/2021 dated 09.12.2021 [Annexure-5] was issued to the lessee levying a penalty of Rupees 72,500 and the lessee was directed to either deposit the penalty amount within 03 days or to submit his reply. The Lessee deposited the said amount through challan No AKV 210014180 dated 09.12.2021 [Annexure-6].

(d) As per the inspection Report of SDM Bilhaur dated 12.12.2020, lessee was found to have illegally mined 54,219 cub.mtr. in Gata No. 01 Mi area 5.4219 hectare (outside the lease area), in respect of which a demand of total Rs. 2,11,45,410 was imposed upon the lessee. Further, in consequence of inspection

Jasbukla ♀

by Director, Geology and mining, Lucknow on 11.01.2021, 02 overloaded vehicles were caught in the lease area and thus as per the provisions of Rule 59(6) of the Rules a demand of Rs. 50,000/- was imposed upon the lessee. Thus, a total amount of Rs. 2,39,06,360/- became due upon the lessee. Therefore, vide order No. 443/Tees-upkhaniz/2021 dated 03.02.2021 the mining operation was suspended and the lessee was instructed to deposit the said amount.

On non deposit of the imposed amount of Rs. 2,39,06,360/- by the lessee, the recovery certificate was issued vide Letter No. 584/tees-upkhaniz/2021 dated 05.04.2021 **[Annexure-7]**.

(e) Against the Notice / letter dated 03.02.2021, the lessee filed revision before the state Government [Revision No. 48(R)/SM/2021]. The Revisional Authority vide order dated 09.08.2021 dismissed the revision and upheld the order dated 03.02.2021 of the District magistrate.

(f) The lessee filed a writ petition (miscellaneous single 18966/2021) before Hon'ble High court, Lucknow Bench against the order dated 09.08.2021 passed by the Revisional Authority and notice dated 03.02.2021 passed by the District magistrate. The Hon'ble High Court on 22.09.2021 **[Annexure-8]** passed an interim order, the operative portion of which is as under:-

“As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50% before the District Magistrate, Kanpur Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.”

(g) The lessee, in pursuance of order passed by the Hon'ble High court dated 22.09.2021, deposited 50% amount of the imposed amount, which is 50% of Rs. 2,39,06,360/ i.e. Rs. 1,19,53,180/- through challan No. AKV 210012782 **[Annexure-9]** and furnished security of Rs. 1,19,53,180/-. Thereafter, vide order no. 1067/Tees-upkhaniz/2021 dated 13.12.2021 **[Annexure-10]**, the lessee was allowed to resume the mining operation.

J. S. Shukla

7

h

(h) The lessee did not obtained C.T.O. despite direction given by Regional officer, UPPCB, Kanpur Nagar, vide letter No. 1243/SA-218/22 dated 05.12.2022 **[Annexure-11]**. Therefore, the District magistrate vide letter No. 1690/Tees-upkhaniz/2022 dated 13.12.2022 **[Annexure-12]** suspended the mining operation.

(i) The Hon'ble High Court, Lucknow Bench in civil Misc. writ petition No. 18966/2021 Vaishnavi Enterprises Vs state of U.P. and others passed an order on 21.08.2023 **[Annexure-13]**, whose operative portion is as below:-

“.....15. This Court has perused the order of the Prescribed Authority from which it is evident that one of the materials for imposing the penalty upon the petitioner is the inspection report dated 13.1.2021. Even in the impugned order there is no averment that copy of the report dated 13.1.2021 was ever supplied and consequently there is no reason to disbelieve the stand of the petitioner. This ground was raised by the petitioner in the revision preferred before the State Government but despite raising this issue no finding has been returned by the revisional court nor the said ground has been considered.

16. In light of the above, both the impugned orders are set aside. The matter is remitted back to the District Magistrate, Kanpur Nagar to pass fresh order after taking into account the reply submitted by the petitioner including the reply dated 3.2.2021 before passing any final order Copy of the inspection report dated 13.1.2021 should be handed over to the petitioner expeditiously say within one week from the date a certified copy of this order is produced before him. The petitioner shall have two weeks thereafter to file reply to the said inspection report and the District Magistrate is further direction to pass fresh order expeditiously say within a period of six weeks from the date of submission of reply by the petitioner in accordance with law.

17. In light of the above, the petition stand allowed.”

(j) In pursuance of order dated 21.08.2023 passed by Hon'ble High court, the lessee submitted his representation on 27.08.2023 and requested a copy of the

Deeshukla

9

h

inspection report dated 13.01.2021. Vide letter No. 224/Tees-upkhaniz /2023 dated 12.09.2023 **[Annexure-14]** the inspection reports dated 13.01.2021 and 12.12.2020 ~~was~~ provided to the lessee. The lessee then submitted his representation dated 18.09.2023 and requested The District Magistrate to pass a fresh order.

In compliance of the order Hon'ble High Court's order dated 21.08.2023, the lessee was given the opportunity for presenting his case. Hearing has been done on 27.04.2024, 12.06.2024 and on 03.07.2024 and order is to be passed by District Magistrate, Kanpur Nagar.

(k) For violation of Rule 59(3) of Minor Mineral concession Rules, (regarding installation of 360° CCTV Camera in the lease area), notice No. 1434/Tees-upkhaniz/2019 dated 08.05.2019 **[Annexure-15]** was issued imposing a penalty of Rs. 25,000/- ~~was imposed~~ upon the lessee, which the lessee deposited through challan No. E813231 dated 08.05.2019 **[Annexure- 16]**. The lease expired on 06.04.2023.

(l) In pursuance of the joint inspection report dated 21.06.2022, for illegal mining of 769 cub.mtr. by the lessee, notice letter No. 1532/Tees-upkhaniz/2022-23 dated 10-08-2022 **[Annexure-17]** was issued by the District Magistrate demanding a sum of Rs. 11,55,837/-. The lessee has filed a revision case [95(R)/SM/2022] before the state Govt. against the notice dated 10.08.2022, which is under consideration.

(m) As per the inspection report of SDM Bilhaur dated 07.12.2020 **[Annexure-18]**, no evidence of constructing a dam in the main stream of River Ganga in the allotted lease area was found .

4. That This Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.03.2024 has also directed that: "11. Further, the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh is also directed to personally look into and take appropriate action for cancellation of the mining lease in all the cases in which the respective mining lease holder has not obtained

V. Jaisankar 7 h

CTO from UPPCB despite expiry of reasonable time and to file action taken report by way of separate affidavit within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.”

In this regard, it is submitted that vide letter no. 1274/M.-NGT Vaad/2022 dated 10.11.2023 [Annexure-19] all the District Magistrates of Uttar Pradesh have been directed to ensure strict compliance of orders of Hon'ble N.G.T dated 30.05.2023 and 17.10.2023.


Deponent

Verification

Verified at Lucknow this the 10th day of July, 2024 that the contents of the above affidavit are based on the information derived from the official record and as such true and correct as per my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


Deponent

J. K. B. W. K. A.

A

प्रेषक,

जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक 357 / तीस-उपखनिज / 2024

दिनांक: जुलाई 05, 2024

विषय—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 691/एम०-एन०जी०टी०-वाद कानपुर नगर/2022 दिनांक 20.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 के अनुपालन में उक्त पारित आदेश के बिन्दु संख्या 5 व 7 में इंगित निर्देशों के सम्बन्ध में अद्यतन सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 के बिन्दु संख्या 5 व 7 में इंगित निर्देशों के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:-

- 1- शासनादेश सं० 1875/86-2017-57(सा०)टी०सी०आई/2017 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा स्वीकृत हेतु साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौड़ा तहसील बिल्हौर के रिक्त क्षेत्र हेतु विज्ञापित संख्या 985/तीस-उपखनिज /2017 दिनांक 03.11.2017 को विज्ञापित का प्रकाशन कराया गया। जिसमें सर्वोच्च बोली रू० 92-00 प्रति ध०मी० की दर से में० वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह की रही। जिसके क्रम इस कार्यालय के पत्रांक 36/तीस-उपखनिज /2018 दिनांक जनवरी, 18, 2018 द्वारा सहमति-पत्र(लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया गया।
- 2- पट्टा धारक में० वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह के पक्ष में पर्यावरण निदेशालय उ०प्र० से जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र संख्या 174 दिनांक 18 फरवरी 2018 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त शासनादेश सं० 1875/86-2017-57(सा०)टी० सी०आई/2017 दिनांक 14.08.2017 ग्राम कटरी सुनौड़ा तहसील बिल्हौर के गाटा संख्या 02मि० रकबा 10.5 हे० का पट्टा धारक में० वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह निवासी एम०आईजी०-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक हेतु पट्टा विलेख का निष्पादन कराया गया था। उक्त खनन पट्टा दिनांक 06.04.2023 को समाप्त हो चुका है।
- 3- उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या दिनांक 07.12.2020 के अनुसार पट्टाधारक में० वैष्णवी इन्टरप्राईजेस के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौड़ा तहसील बिल्हौर के गाटा संख्या 02मि से लगभग 700मीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवां तहसील बिल्हौर में तत्समय सपाट बन्धा के रूप में पाया गया था। उक्त के सम्बन्ध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चौबेपुर तहसील बिल्हौर में मु०अ०स० 0338 दिनांक 08.12.2020 (संलग्नक-1) दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 21.06.2021 मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम०-प्रथम माती कोर्ट कानपुर देहात

1' J. K. Shukla

2

को प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र दिनांक 21.06.2021 (संलग्नक-2) में मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस के प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह को आरोपी बनाया गया है।

4- तत्कालीन खान निरीक्षक एवं तहसीलदार बिल्हौर की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 05.12.2021 (संलग्नक-3) में पाया गया कि उपरोक्त खनन क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा क्षेत्र तक हाल रोड(कच्चा रास्ता गाड़ियों के आवागमन हेतु) बनाया गया, जिसके मापन में 10 मीटर चौड़ाव 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिट्टी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे-किनारे लम्बाई में मेड़ के रूप में रखा हुआ पाया गया। उपरोक्त आख्या के क्रम में कार्यालय नोटिस सं0-1058/ तीस-उपखनिज/2021 दिनांक 09.12.2021 (संलग्नक-4) द्वारा बिना अनुमति के रास्ता बनाने के कारण रू-72,500.00/ का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये 03 दिवस के अंदर जमा करने अथवा अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पश्चात पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि चालान सं0-एकेवी 210014180 दिनांक 09.12.2021 (संलग्नक-5) को जमा किया गया है।

5- उपजिलाधिकारी बिल्हौर के निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 के अनुसार पट्टाधारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस प्रो.नागेन्द्र सिंह द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या 1 मि0 में रकबा 5.4219 हे0 क्षेत्रफल से 54219 घनमी0 बालू का अवैध खनन/परिवहन किया गया था, जिसकी रायल्टी रू0-35,24,235.00, खनिज मूल्य रू0-1,76,21,175.00 (रायल्टी का पांच गुना) कुल रू0- 2,11,45,410.00 (दो करोड़ ग्यारह लाख पैतालिस हजार चार सौ दस) रूप्ये मात्र एवं नियम-57 के अनुसार रू0-27,10,950.00 (पांच लाख रूप्ये प्रति हेक्टेयर की दर से) अर्थदण्ड होता है। साथ ही दिनांक 11.01.2021 को निदेशक महोदया के निरीक्षण के दौरान पट्टेधारक के खनन क्षेत्र से 02 ओवरलोड वाहन 1963 के नियम-59(6) के अर्न्तगत प्रत्येक चूक पर रू0-25,000.00 की दर से शास्ति रू0-50,000.00 आरोपित किया गया। इस प्रकार पट्टेधारक पर कुल रू0- 2,39,06,360.00 (दो करोड़ उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ) रूप्ये देयता बनी। उक्त के क्रम में पट्टाधारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस, प्रो0 नागेन्द्र सिंह, को कार्यालय नोटिस संख्या- 443/तीस-उपखनिज/2021 दिनांक 03.02.2021 (संलग्नक-6) द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित करते हुए उक्त धनराशि जमा करने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया।

पट्टाधारक द्वारा कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 03.02.2021 के क्रम में अधिरोपित धनराशि रू0 2,39,06,360.00 (दो करोड़ उन्तालीस लाख छः हजार तीन सौ साठ) जमा न किये जाने के कारण वसूली प्रमाण पत्र संख्या 584/तीस-उपखनिज/2021 दिनांक 05.04.2021 (संलग्नक-7) जारी किया गया।

6- पट्टाधारक द्वारा कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 03.02.2021 के विरुद्ध भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ के समक्ष निगरानी संख्या-48(आर)/एसएम/2021 में वैष्णवी इन्टरप्राइजेस बनाम निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0 प्र0 लखनऊ व जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं अन्य योजित की गयी, जिसमें शासन द्वारा निर्णय संख्या-1281/एस एम/2021 दिनांक 09.08.2021 पारित करते हुए कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 03.02.2021 को नियमानुसार कहते हुए पट्टाधारक की निगरानी को निरस्त कर दिया गया।

7- पट्टाधारक द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.08.2021 व कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 03.02.2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका मिस0 सिंगल संख्या-18966/2021 मेर्सस वैष्णवी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रो0 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0 प्र0 शासन व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 22.09.2021 (संलग्नक-8) को अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50 % before the District Magistrate, Kanpur Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

2

-3

J. Kashyap

9

कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1464/तीस उपखनिज दिनांक 29.06.2022 (संलग्नक-16) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस जारी करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर द्वारा दिनांक 02.04.2022 को किये गये निरीक्षण में पट्टा क्षेत्र में पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यालय नोटिस दिनांक 29.06.2022 के सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना है कि निरीक्षण दिनांक 02.04.2022 के कम में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर के पत्र संख्या एच-80639/दिनांक 02.09.2022 (संलग्नक-17) द्वारा पट्टाधारक पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपये 4,29,37,500.00 अधिरोपित करते हुए जमा किये जाने हेतु पट्टाधारक को पत्र प्रेषित किया गया है।

13 - पट्टाधारक में० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रो० नागेन्द्र सिंह द्वारा खनन क्षेत्र में 360 डिग्री सी०सी०टी०वी० कैमरा न लगाये जाने पर नियम 59(3) का उल्लंघन किये जाने पर नोटिस सं० 1434/तीस-उपखनिज/2019, दिनांक 08.05.2019 (संलग्नक-18) को निर्गत करते हुये रू-25,000.00/-की शास्ति आरोपित की गयी, जिसे पट्टाधारक द्वारा नोटिस में अंकित धनराशि चालान सं०-ई 813231 दिनांक 08.05.2019 (संलग्नक-19) को जमा किया गया है।

14- संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या दिनांक 21.06.2022 के कम में पट्टाधारक द्वारा 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं०-1532/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 10.08.2022 (संलग्नक-20) निर्गत कर कुल धनराशि रू-11,55,837.00/ जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के विरुद्ध पट्टाधारक द्वारा शासन स्तर पर निगरानी सं०-95(आर)/एसएम/2022 योजित की गयी जो वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन है।

15- उप जिलाधिकारी बिल्हौर की जांच आख्या दिनांक 07.12.2020 (संलग्नक-21) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में गंगा नदी की मुख्य धारा में बन्धा बनाकर बालू खनन का कार्य होता नहीं पाया गया था।

16- पट्टाधारक में० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह निवासी एम०आईजी०-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर की पट्टा अवधि दिनांक 06.04.2023 को समाप्त हो चुकी है। तदनुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(रिंकी जयसवाल)
अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),
कानपुर नगर।

J. S. Shukla

7

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)

P.S. (थाना): चौबेपुर

Year (वर्ष): 2020

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0338

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 08/12/2020 18:31

2. S.No. Acts (अधिनियम)
(क्र.सं.)

Sections (धारा(एँ))

1 भा दं सं 1860

277

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day रविवार
(दिन):Date From 06/12/2020
(दिनांक से):Date To 06/12/2020
(दिनांक तक):Time Period पहर 1
(समय अवधि):Time From 00:00 बजे
(समय से):Time To 00:00
(समय तक): बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 08/12/2020
(दिनांक):

Time (समय): 18:31 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 039
(प्रविष्टि सं.):Date & Time 08/12/2020 18:31 बजे
(दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पूर्वोत्तर, 10 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address बालू खनन गंगा स्थल, वाहद ग्राम कटरी अटवा
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री कमला प्रसाद
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | लेखपाल सुनौढा परगना, व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2 | स्थायी पता | लेखपाल सुनौढा परगना, व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी |

Gurshukra

7

2 स्थायी पता (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | अज्ञात1 | | | |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (संपत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति का प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी.....थानाध्यक्ष चौबेपुर कानपुर नगर महोदय अवगत कराना है कि समाचार पत्र दैनिक जागरण मे प्रकाशित खबर दिनांक 06.12.2020 शीर्षक गंगा की धारा मोडकर प्रवाह क्षेत्र मे खनन हुआ अटवा बन्दी माता घाट पर बालू निकालने को बन्धा लगाकर मोड दी गयी धारा के क्रम मे राजस्व टीम द्वारा जाँच की गयी जाँच के क्रम मे पाया गया कि साधारण बालू का खनन राजस्व ग्राम कटरी सुनौडा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के गाटा सं0 2 मि0 रक्का 10.500 हेक्टेयर स्वीकृति खनन पट्टा

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक मे0 वैष्णवी इन्टर प्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 2 महावलीपुरम कानपुर नगर द्वारा मशीनो के सहयोग से किया जा रहा है। साधारण बालू खनन स्थल गंगा नदी की मुख्य धारा से लगभग 900 मीटर दूर स्थित पाया गया वास्तव मे दैनिक जागरण समाचार पत्र छपे फोटो की स्थिति निर्धारित बालू खनन स्थल से लगभग 700 मीटर पश्चिम दिशा मे स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवा तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की है जो वर्तमान मे सपाट रूप मे बन्धा पाया गया/ इस सपाट बन्धा के कारण खनन स्थल की और जाने जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से बनी उपशाखा मे जल का प्रवाह रुक गया जिससे कि पानी कलूषित (भ्रस्ट) हो गया। गंगा नदी मे जल का प्रवाह रोककर खनन होता नही पाया गया गंगा नदी की उपशाखा मे बने सपाट हल्के फुल्के बालू के ढेर हटवा दिये गये है। अतः राजस्व ग्राम कटरी अटवा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मे सपाट बन्धा पाया गया जिसे अज्ञात व्यक्तियो द्वारा बनाया गया। अज्ञात व्यक्तियो के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का कष्ट करे। sd अंग्रेजी अपठनीय 08.12.2020 कमला प्रसाद लेखपाल सुनौडा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मो0नं0 9450447047 नोट मै सीसी शैलेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस का0 969 महेश कुमार से टाइप कराकर स्वयं चैक कर आनलाइन करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) RAMA SHANKAR Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): PAL (पद):

No. 980560046 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

3112

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

District

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge.

Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name KRISHAN MOHAN RAI

Rank I (Inspector)

No. 012460553

Shankar
5

7

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms.) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह) |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| Deformities/ Peculiarities | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | |
| Language /Dialect (भाषा/वोली) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
| Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoder ma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

U. K. Sharma 6

7

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

Sankla

9

3115-3

~~A-2~~

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 173 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : ACJM 1 माती कोर्ट (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
P.S. (थाना): चौबेपुर Year(वर्ष): 2020
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0338 Date(दिनांक): 08/12/2020
2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01
3. Date(दिनांक): 21/06/2021
4. S.No. Acts(अधिनियम) Sections(धाराएँ)
1 भा दं सं 1860 277
5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):
6. If FR Unoccurred
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. If Charge sheet मूल
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

1
Jashukla

7

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Gopi Krishna Agrawal

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):0152302074

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
श्री कमला प्रसाद

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

| S. No | Property Description | Estimated Value (in Rs.) | Police Station Property Register No. | From whom/ where recovered or seized | Disposal |
|-------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | | |

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name नागेन्द्र सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): रावेन्द्र सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1981

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. Address Type
(क्र.सं.) (पता का प्रकार)

Address(पता)

1 वर्तमान पता

113 एमआईजी 2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, पश्चिमी
(कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

113 एमआईजी 2 महाबलीपुरम, कल्यानपुर, पश्चिमी
(कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 21/06/2021

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.

(क्र.सं.) Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 भा दं सं 1860

277

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. Address Type

Address(पता)

(क्र.सं.) (पता का प्रकार)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए

जाने वाले गवाहों का विवरण):

| S. No | Name/ Mob No | Father's/ Husband's name | Date/ Year of birth | Occupat ion (व्यवसाय) | Address (पता) | Type of evidence to be tendered |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| (क्र. सं.) | (नाम/ मो नं०) | (पिता/पति का नाम) | (जन्म तिथि /वर्ष) | | | (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार) |
| 1 | श्री कमला प्रसाद / 0 | | 1975 | | वर्तमान पता: लेखपाल सुनौडा परगना, व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: लेखपाल सुनौडा परगना, व तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट | शिकायतकर्ता |

J. K. Sharma

7

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|---|--------------------|
| | | | | कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | |
| का0 3596 2 शैलेन्द सिंह / | | | | वर्तमान पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | औपचारिक गवाह |
| नरेन्द कुमार शुक्ल 3 / | | | | वर्तमान पता: राजस्व निरीक्षक तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: राजस्व निरीक्षक तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | चक्षुदर्शी साक्ष्य |
| अवनीश कुमार 4 तहसीलदार / | | | | वर्तमान पता: तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: तहसील बिल्हौर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | चक्षुदर्शी साक्ष्य |
| 5 रामप्रसाद / | पिता: मुंशी लाल | | | वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |
| 6 शिवशंकर / | पिता: राधेश्याम | | | वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |
| 7 रामकुमार / | पिता: मुन्नी लाल | | | वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------|
| 8 | सत्य नरायन / | पिता: वलदेव | वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |
| 9 | हुन्नन / | पिता: राजबहादुर | वर्तमान पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |
| 10 | गोविन्द / | पिता: कल्लू | वर्तमान पता: अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अटवा, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अन्य गवाह |
| उ0नि0श्री 11 रामाशकर पाल /: | | | वर्तमान पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अनुसंधान साक्ष्य |
| उ0नि0 गोपीकृष्ण 12 / | | | वर्तमान पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना चौबेपुर, चौबेपुर, पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), उत्तर प्रदेश, भारत | अनुसंधान साक्ष्य |

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त वादी श्री कमला प्रसाद लेखपाल सुनौदा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की लिखित तहरीर पर थाना हाजा में पंजीकृत होकर प्रारंभिक विवेचना उप निरीक्षक श्री रमाशंकर पाल द्वारा तथा उनके निलंबन के उपरांत विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय मुझ

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

उपनिरीक्षक को प्राप्त हुई। दौराने विवेचना अभियुक्त नागेद सिंह पुत्र स्व0 रावेन्द्र सिंह निवासी 113 एमआईजी2 महाबलीपुरम थाना कल्याणपुर कानपुर नगर का नाम प्रकाश में आया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी निरीक्षण घटनास्थल बयान चश्मदीद गवाह व स्थानीय गवाह से अभियुक्त नागेद सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 रावेन्द्र सिंह निवासी 113 एमआईजी2 महाबलीपुरम थाना कल्याणपुर कानपुर नगर के विरुद्ध धारा 277 आईपीसी का अपराध बखूबी साबित है। अतः अभियुक्त नागेद सिंह उपरोक्त का चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 110/2021 दिनांक 21/06/2021 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि साक्ष्य तलब कर उचित दंड देने की कृपा की जाए। विवेचना जरिये आरोपपत्र समाप्त की जाती है।

17.Refer Notice served नहीं
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 21/06/2021

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20.List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

25ग. Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): KRISHAN MOHAN RAI

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No. 012460553
पीएनओ/सीयूजी सं:

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet

(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Gopi Krishna Agrawal

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No. 0152302074
पीएनओ/सीयूजी सं:

Krishna

Gopi Krishna

अपर धिलाधिकारी (नगर)

महोदय,

शासन दिनांक 05.12.2021 को आपकी स्थायी कार्यालय सुनौदा परगना वा तहसील बिल्डी (पतनपु-कानपुर) में की गयी शं. 2 मि. बालू खनन क्षेत्र एवं इसके द्वारा - पारस के क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया गया था। पीछे पट्टाधारक द्वारा किए गए बालू खनन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त खनन क्षेत्र के पट्टाधारक मैसर्स वैठकी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सि. सि. 113 एम. आर्. पी. महावलीपुरम, पाना-कल्यानपुर द्वारा खनन क्षेत्र तक हाल में (कच्चा बंधों) जाड़ियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया, मापन में 10 मीटर चौड़ा व 1.45 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिट्टी को सखी द्वारा काटकर नदी के किनारे-किनारे लम्बाई में मैड के रूप में उखाड़ा हुआ पाया गया, जिसको देखने से उक्त मिट्टी को पुनर्गठन स्वामी से व्यर्थ परिवहन किया गया है, अबका भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। बताया गया कि अन्तिम छोट से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 500 मीटर है। खनन क्षेत्र का भी सीमा द्वारा निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि खनन क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कृषि-कलाप नहीं किया गया है।

- संलग्नक: ① नक्शा-नक्शा
② फोटोग्राफ

दिनांक 05-12-21
श्री. सुनौदा

Signature
05/12/21
RIP
RI-512

Signature
T. (S)
5/12/21

दिनांक 05.12.2021
कोशी सिंह
खान निरीक्षक
कानपुर-नगर

खान निरीक्षण
आलय नुसार पत्रावली पर कृपया करें
समस्त प्रश्न करें

CC
05/12/21
Signature

9

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

प.सं.- 1058 / तीस-उपखनिज / 2021

दिनांक: दिसम्बर, 09, 2021

मे० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज
प्र० श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम०आई० जी०-2
महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर

नोटिस

संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 05.12.2021 के अनुसार आप द्वारा पट्टा खनन क्षेत्र तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौदा के गाटा संख्या-2मि रकबा 10.50हे० में पहुंचने हेतु हाल रोड (कच्चा रास्ता गाडियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया। मापन में 10 मीटर चौड़ा व 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिटटी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे-किनारे लम्बाई में मेड के रूप में रखा हुआ पाया गया।


आप द्वारा कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त रास्ता बनाये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, जो अनधिकृत खनन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आप द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के धारा 4, 21 व उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58 का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृत्य के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अथवा किये गये अनाधिकृत खनन 145मी० लम्बाई, 10मी० चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल 1450 वर्गमीटर (0.145हे०) का अर्थदण्ड रू० 72,500/- (पाँच लाख रू० प्रति हेक्टेयर) खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।


अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।





3125

Anx-6

A-5

Print Close

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

| | |
|-------------------------------|---|
| Transaction No.: AKV210014180 | Transaction Date: 09/12/2021 |
| Assessment Year: 2021-2022 | Tax Period: ONETIME |
| Name of the Bank: | State Bank of India |
| Unique Id: | |
| Depositor Name: | NAGENDRA SINGH |
| Depositor Address: | 113 MIG II MAHABALIPURAM KALYANPUR KANPUR |

| Head | Description | Serial No. | Amount (in Rs.) |
|-----------------|--|------------|-----------------|
| 085300102010000 | खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क | 1 | 72500.00 |
| | Totals of the above heads | -- | 72500.00 |

A SUM OF Rs. 72500.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION

]-- ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->ONETIME FEES)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABFYUFW5, Scroll Date:-NA

Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan,
Lucknow referring CPABFYUFW5 for status of the deposit.

V. K. Sharma

7

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक 84/तीस-उपखनिज/2021

दिनांक: अप्रैल, 05, 2021

वसूली प्रमाण पत्र

प्रभारी अधिकारी (संग्रह)
कानपुर नगर।

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 31.03.2021 के अनुपालन में पट्टाधारक मे० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह निवासी-113 एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम, कानपुर नगर द्वारा गाटा संख्या-01मि० के रकबा 5.4219हे० में किये गये 54219 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन की कुल धनराशि रू० 2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू०) की वसूली बतौर बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल कर सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करें।

| पट्टाधारक का नाम | धनराशि | ब्याज | योग |
|--|---|-------|----------------|
| मे० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113, एम०आई०जी०-2 महाबलीपुरम, कानपुर नगर | 2,39,06,360 /- (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू०) | - | 2,39,06,360 /- |

अतः वसूली प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित तहसील से उक्त धनराशि की वसूली कराकर लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग 102 खनिज रियायती फीस सम्बन्धी किरायें और रायल्टी के लेखाशीर्षक में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
कानपुर नगर।

Jeetshukla

7

Court No. - 19

Case :- MISC. SINGLE No. - 18966 of 2021

Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh

Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology & Mining, Lko. & Ors.

Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht, Gagan Katyayan

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Jaspreet Singh, J.

Heard Sri J.N. Mathur, learned Senior Counsel assisted by Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner and Sri Rakesh Bajpai, learned counsel for the State-respondents.

By means of the instant petition, the petitioner assails the order dated 09.08.2021 passed in Revision No. 48 (R)/SM/2021 whereby the Revisional Authority has upheld the order dated 14.01.2021 passed by the Director, Directorate of Geology and Mining as well as the order dated 03.02.2021 passed by the District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar.

The submission of learned Senior counsel for the petitioner is that in pursuance of the show cause notice dated 22.12.2020, the petitioner was called upon to reply within a period of 15 days regarding an alleged charge of illegal mining. It is submitted that the aforesaid show cause notice is based upon an inspection said to have been conducted by the Authorities on 12.12.2020, however, no notice of the same was given to the petitioner.

It is further been urged that later another inspection was made on 11.01.2020 which is followed by another inspection dated 13.01.2021. Taking note of the aforesaid, the respondent no. 2 passed the order dated 14.01.2021 holding that the charge of illegal mining against the petitioner was prima facie established and also directed the respondent no. 3 to pass appropriate orders restraining further mining in respect of the lease granted to the petitioner.

It is also urged that in furtherance of the order dated 14.01.2021, the respondent no. 3 has passed the order dated 03.02.2021 wherein it has relied upon the aforesaid inspections as mentioned above and an amount of Rs. 2,39,06,360/- have been found outstanding against the petitioner for illegal mining and the same was required to be deposited within a period of 15 days.

Jaspreet Singh

7

Being aggrieved against the aforesaid orders dated 14.01.2021 and 03.02.2021, the petitioner preferred a Revision before the State in terms of Rule 78 of the Uttar Pradesh Mining Mineral (Concession) Rules, 1963. It is further submitted that the Revision also came to be dismissed by means of order dated 09.08.2021.

The submission of learned Senior Counsel for the petitioner is that the order dated 03.02.2021 passed by the respondent no. 3 is primarily based on the order dated 14.01.2021 passed by the Director i.e. respondent no. 2. These two orders which were under challenge in the aforesaid revision was decided by the same person who was the Director. It is submitted that under the Rules of 1963, the revisional power is conferred upon the State to hear the Revision both against the orders passed by the District Officer as well as against the order passed by the Director.

It is in this view of the matter where the Revision was before the same person who as Director had passed the order dated 14.01.2021, hence, it was not appropriate for the said person to sit over its own order in Revision.

It has also been urged that the entire proceedings are based on the show cause notice dated 22.12.2020 which in turn is based on the inspection dated 12.12.2020. The petitioner has not been afforded adequate opportunity of hearing, inasmuch as, the inspection dated 12.12.2020 was behind their back. Moreover, their reply to the show cause has also not been considered.

It is also urged that the subsequent inspections were also not informed to the petitioner and even while passing the order dated 14.01.2021, no notice was issued especially when it was accompanied by evil consequences of prohibiting the petitioner to carry out the mining as well as the order dated 03.02.2021 which imposed a huge penalty for the alleged charge of illegal mining. It is in the aforesaid backdrop it is submitted that the manner in which the entire proceedings have been held are violative of principles of natural justice and arbitrary and thus requires interference.

Sri Bajpai, learned counsel appearing for the State-respondent submits that in so far as the inspection is concerned, it was on the instance of the petitioner, an application was moved on 16.12.2020 required demarcation to be done. The demarcation order was passed on 12.01.2021 in furtherance thereof the demarcation was actually done on 13.01.2021.

It is further urged that the aforesaid demarcation was done in

V. Jha Shukla

9

presence of the representative of the petitioner and moreover even adequate opportunity was granted to the petitioner while issuing a show cause notice dated 22.12.2020, it was open for the petitioner to have responded but since they did not respond to the same, accordingly, the State Authorities have proceeded. Once, it was found that the petitioner had indulged in illegal mining, the penalty for such act was calculated and in terms thereof the impugned order dated 03.02.2021 has been passed. The Revisional Court also noticed the same and did not find favour with the submissions of the petitioner, hence, accordingly, the revision was dismissed.

It has also been urged by Sri Bajpai that in so far as the issue of illegal mining is concerned it was established in the first inspection dated 12.12.200 which was also corroborated in the subsequent inspection held on 12.01.2020.

As far as the plea raised by the petitioner that Revision has been decided by the same Authority who was acting as the Director who had passed the order impugned dated 14.01.2021, it is submitted that in light of the decision of the Apex Court in the case of *J. Mohapatra and Company and Another Vs. State of Orissa and Another* reported in 1984 (4) SCC 103; *P.T. Dinakaran Vs. Judges Inquiry Committee and Others* reported in 2011 (8) SCC 380 and *Union Of India and Others Vs. Vipin Kumar Jain and Others* reported in 2005 (9) SCC 579, the said plea is not available.

It is urged that first and foremost the petitioner did not raise this issue before the Revisional Authority and therefore it amounts to waiver. It is further urged that by raising this plea for the first time in the Writ Petition and not before the Revisional Authority, it also indicates delay in raising the aforesaid plea and thus for all the reasons it is not sufficient to set aside the order simplicitor on the aforesaid plea.

Having heard the learned counsel for the parties and from the perusal of the record, apparently, the matter requires consideration.

In the aforesaid facts and circumstances, let the State file a counter affidavit within a period of two weeks. The petitioner shall have two weeks thereafter to file its rejoinder affidavit.

List this matter on 08.11.2021.

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50 % before the District Magistrate, Kanpur

J. K. Shukla

7

3130

Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

Order Date :- 22.9.2021

Asheesh

Authenticated Copy

Alisha
24.9.2021

Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

V. Sankar

7

3131

Print Close

Anx-9

~~A-9~~**ACKNOWLEDGEMENT**

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

| | |
|-------------------------------|--|
| Transaction No.: AKV210012782 | Transaction Date: 20/11/2021 |
| Assessment Year: 2021-2022 | Tax Period: ONETIME |
| Name of the Bank: | State Bank of India |
| Unique Id: | |
| Depositor Name: | VAISHNAVI ENTERPRISES NAGENDRA SINGH |
| Depositor Address: | 113 MIG MAHALIPURAM PANKI KALYANPUR KANPUR 208017 |

| Head | Description | Serial No. | Amount (in Rs.) |
|-----------------|--|------------|-----------------|
| 085300102010000 | खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क | 1 | 12000000.00 |
| | Totals of the above heads | -- | 12000000.00 |

A SUM OF Rs. 12000000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE -- [THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON State Bank of India HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
 (Depositor Remarks->HONORABLE HIGH COURT ORDERED ON DATED 22 09 2021 RIT NUMBER 18966 2021)
 THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABFBKQH9, Scroll Date:-NA
 Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan,
 Lucknow referring CPABFBKQH9 for status of the deposit.

सत्यापित
 20.11.2021

V. S. Shukla

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्र सं. १०६७/तीस-उपखनिज/2021

दिनांक: दिसम्बर, 13, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या - 18966/2021 मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50 percent of the amount and furnish a security for the remaning 50 percent before the District Magistrate, kanpur nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर द्वारा पट्टा क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-1मि० के रकबा 5.4219 हे० से 54219 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन की कुल धनराशि रू०-2,39,06,360.00 का 50 प्रतिशत धनराशि रू०-1,20,00,000.00 चालान संख्या-AKV 210012782 दिनांक 20.11.2021 द्वारा राजकोष में जमा करा दिया गया है तथा 50 प्रतिशत धनराशि रू०-1,19,53,180.00 की जमानत के तौर पर 03 वाहनो कमश: यू०पी०-78डी० टी०-8726, यू०पी०-78एफ०एन०-7953 व यू०पी०-78 एफ०एन०-7954 की मूल पंजीयन अभिलेख एवं एक अन्य वाहन HUNDAI कम्पनी की R215L Smart Hydraulic Excavater की मूल बीजक प्रस्तुत की गयी। जिनके कराये गये मूल्य निर्धारण के अनुसार उक्त 04 वाहनो की कुल वर्तमान कीमत रू०-1,11,16,600.00 थी, जो 50 प्रतिशत धनराशि से रू०-8,36,580.00 कम थी। जमानत की धनराशि कम होने पर मे० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 01.11.2021 को वाहन रोड रोलेर यू०पी०-78 जी०एन०-6250 जिसकी वर्तमान कीमत रू० 18,90,000/- की मूल पंजीयन पुस्तक कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जा चुका है। पट्टाधारक द्वारा मा० न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.09.2021 के अनुपालन उपरान्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 11.12.2021 के क्रम पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौडा की गाटा संख्या-2मि० रकबा 10.50 हे० स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू खनन/परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पट्टाधारक को उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 एवं पट्टाविलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-निदेशक महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी महोदय, सादर सूचनार्थ।
- 4-पुलिस अधीक्षक आउटर, कानपुर नगर।
- 5-अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कानपुर नगर।
- 6-उप जिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।
- 7-पट्टाधारक मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113, एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर कानपुर को अनुपालनार्थ।

J. S. Mishra

9

अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर

संदर्भ- 1243/स।०-218/22

दिनांक:- 05/12/22

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय,
कानपुर नगर

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महोदय द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्राम-कटरी सूनोढा, तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर के गाटा सं०-2मि० रकवा 10.5 हे० में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै० वैष्णवी इन्टरप्राइजेज, प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी-113, एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बाताओ नोटिस पत्र सं०-एच-85021/सी-2/एन०जी०टी०-ओ०ए०-176/22, दिनांक 02.12.2022 (संलग्न) जारी किया गया है, जिसकी प्रति जिलाधिकारी महोदय को भी पृष्ठांकित की गयी है, के तत्कम में सूचित कराना है कि उक्त बालू खनन परियोजना के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ०ए० सं० 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी। प्रकरण मा० अधिकरण में विचाराधीन है।

यह अस्तु है कि पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक 174/पर्या०/एस०ई०ए०सी०/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (ई०सी०), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ निर्गत की गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, के आलोक में उक्त खनन परियोजना/पट्टा धारक के विरुद्ध नियमानुसार निषेधात्मक संबंधी कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

अतः पत्र इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित विभाग को आन्तरित करना चाहें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(ई० अभित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ सादर प्रेषित-

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. जिला खनन अधिकारी, कानपुर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक-1890/तीस-उपखनिज/2022

दिनांक: दिसम्बर, 13, 2022

श्री० वैष्णवी इण्टरप्राइजेज,
प्र० नागेन्द्र सिंह, निवासी-113, एम०आई०जी०-2, महाबलीपुरम,
कल्यानपुर, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्र सं०-1243/ सा०-218/22 दिनांक 05.12.2022 में उल्लेखित किया गया है कि "तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौडा की गाटा सं०-2मि० रकवा 10.50हे० में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्र सं०-एच-85021/सी-2/एन०जी०टी०-ओ०ए०-176/22 दिनांक 02.12.2022 निर्गत किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, के आलोक में उक्त खनन परियोजना/पट्टाधारक के विरुद्ध नियमानुसार निषेधात्मक सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।"

उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नौलामी प्रणाली के माध्यम से जनपद के गंगा नदी तल स्थित तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौडा की गाटा सं०-2मि० रकवा 10.50हे० साधारण बालू खनन क्षेत्र के पट्टा विलेख का निस्पादन दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 (05 वर्ष) तक की अवधि हेतु तक आपके पक्ष में दिनांक 07.04.2018 को किया गया था। आपके पक्ष में निस्पादित पट्टाविलेख की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा। किन्तु क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के साथ-साथ पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र (सी०टी०ओ०) प्राप्त नहीं किये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 7.12.2022 के क्रम में आपके खनन पट्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
4. उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।
5. खनन अधिकारी, कानपुर नगर।

Yashukla

9

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

Court No. - 17**Case :- WRIT - C No. - 18966 of 2021****Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh****Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology And Mining Lko.And Ors.****Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht, Gagan Katyayan****Counsel for Respondent :- C.S.C.****Hon'ble Alok Mathur.J.**

1. Heard Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner as well as learned Standing counsel on behalf of the respondents..

2. By means of the present petition the petitioner has challenged the order dated 3.2.2021 passed by District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar thereby imposing an amount of Rs.2,39,06,360/- as charges for illegal mining and penalty as well as order dated 9.8.2021 passed by the State Government in exercise of its revisional powers.

3. It has been submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner was granted mining lease on 7.4.2018 after obtaining all the clearances including the environmental clearance. On 6.12.2020 an inspection was carried out by Mining Officer, Kanpur Nagar, which submitted a report that petitioner No.1 carried out mining activities outside the area allotted to him and subsequently another inspection was carried out after few days wherein it was alleged that petitioner No.1 had carried out illegal mining of 5.4219 hectare outside the mining area. Accordingly show cause notice was issued on 22.12.2020 to the petitioner who submitted its reply with regard to the allegations of illegal mining outside the mining area. The petitioner submitted a belated reply on 1.2.2021 and denied the allegations leveled in the notice. Another inspection was carried out on 11.1.2021. In the said inspection dated 11.1.2021 it was found that it was difficult to determine the mining site correctly and hence team was sought to be constituted. The team was accordingly constituted which conducted inspection on 12.1.2021 and submitted report on 13.1.2021. The said report was never communicated to the petitioner and merely on the basis of the report dated 13.1.2021 the District Magistrate/District Officer passed order dated 3.2.2021 holding that the petitioner had, in fact, conducted illegal mining in an

J. K. SHUKLA

9

are not allotted to him and imposed penalty to the tune of Rs.2,39,06,360/-.

4. It is further submitted by learned counsel for the petitioner that Director, Geology and Mining, U.P., Lucknow by means of order dated 14.1.2021 had directed the District Magistrate to initiate punitive action against the petitioner for illegal mining and directed the District Magistrate to take appropriate steps for realizing the charges and valuation of the excess mining conducted by the petitioner in accordance with law.

5. Aggrieved by the said order dated 3.2.2021 the petitioner had filed a revision before the State Government which incidentally has been decided by Dr. Roshan Jacob who herself was the author of the letter dated 14.1.2021 and on whose letter the proceedings against the petitioner were initiated. In the said revisional order the petitioner had stated that copy of the inspection report dated 13.1.2021 was never supplied to him and even the reply submitted by them on 13.2.2021 which was before the District Magistrate was not taken into consideration while imposing the penalty against the petitioner. The revisional court admitted that reply of the petitioner was before the District Magistrate but because it was submitted beyond the prescribed time, the same was not liable to be considered.

6. The second aspect that the inspection report dated 13.1.2021 was never supplied to the petitioner was specifically taken by him as mentioned in the paragraph 39 of the revision but no finding in this regard was recorded or considered by the revisional authority.

7. Learned counsel for the petitioner has vehemently stated that material consideration before the Prescribed Authority with regard to illegal mining against the petitioner was the inspection carried out on 12.1.2021 resulting in report dated 13.1.2021 on the basis of which it was concluded that the petitioner has indulged in illegal mining. The material documents reliance of which was taken note of by the District Magistrate while passing the order dated 3.2.2021 was never supplied to the petitioner and consequently the petitioner was severely prejudiced in as much as the finding was recorded without giving proper opportunity to the petitioner to defend himself. Even when the petitioner had raised these points before the revisional authority the same was neither considered and the revision was rejected.

8. Learned Standing counsel, on the other hand, has defended both the impugned order. He submits that proper opportunity was given to the petitioner before passing the impugned order

J. K. Shukla



dated 3.2.2021 the reply of the petitioner was duly considered while passing the said order and the second reply submitted by the petitioner was received in the office of the District Magistrate on the same day on which order dated 13.2.2021 was passed and as the same was belated reply the same was not considered.

9. I have heard learned counsel for the parties and perused the records.

10. The first question which requires consideration is as to whether the impugned order can be sustained in light of the fact that it was at the behest of Director, Geology and Mining, U.P. Civil Secretariat, Lucknow that the proceedings for illegal mining were initiated against the petitioner. The petitioner had preferred a revision before the State Government was referred to and was decided by Director, Geology and Mining U.P., Lucknow which post was held by Dr. Roshan Jacob who having herself participated in the said proceedings by passing necessary direction to the District Magistrate to initiate proceedings against the petitioner. She should not have decided the revision against the order of the District Magistrate and this Court is of the considered view that the impugned revisional order dated 9th August, 2021 is hit by the vice of bias and this aspect is very clear that no person can be a judge of his / her own cause. The Director Mining and Geology had initiated the proceedings and had the inspection conducted and forwarded all the documents to the District Magistrate for taking action and consequently could not have herself decided the revision against the order of District Magistrate.

11. In the case of *A. K. Kraipak & Ors. Etc vs Union Of India & Ors, 1969 (2) SCC 262* Hon'ble Supreme Court has held as under:-

"It is true that ordinarily the Chief Conservator of Forests in a State should be considered as the most -appropriate person to be in the selection board. He must be expected to know his officers thoroughly, their weaknesses as well as their strength. His opinion as regards their suitability for selection to the All India Service is entitled to great weight. But then under the circumstances it was improper to have included Naquishbund as a member of the selection board. He was one of the persons to be considered for selection. It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause. It is true that he did not participate in the deliberations of the committee when his name was considered. But then the very fact that he was a member of the selection board must have had its own impact on the decision of the selection board. Further admittedly he

J. S. L. K. A.

9

participated in the deliberations of the selection board when the claims of his rivals particularly that of Basu was considered. He was also party to the preparation of the list of selected candidates in order of preference. At every stage of this participation in the deliberations of the selection board there was a conflict between his interest and duty. Under those circumstances it is difficult to believe that he could have been impartial. The real question is not whether he was biased. It is difficult to prove the state of mind of a person. Therefore what we have to see is whether there is reasonable ground for believing that he was likely to have been biased. We agree with the learned Attorney General that a mere suspicion of bias is not sufficient. There must be a reasonable likelihood of bias. In deciding the question of bias we have to take into consideration human probabilities and ordinary course of human conduct. It was in the interest of Naqishbund to keen out his rivals in order to secure his position from further challenge. Naturally he was also interested in safeguarding his position while preparing the list of selected candidates."

12. In light of the above, this Court is of the considered opinion that the revisional order is illegal and arbitrary and hit by the vice of bias.

13. The second ground raised by the petitioner is that the Prescribed Authority prior to passing of the impugned order dated 3.2.23021 had got another inspection conducted on 12.1.2021 report of which was submitted on 13.1.2021 which formed the basis of the order of imposition of cost and penalty for the alleged illegal mining done by the petitioner.

14. The petitioner has stated that the report dated 13.1.2021 was never supplied and consequently the petitioner was prejudiced in as much as the relevant documents were never supplied in absence of which the impugned order has been passed in gross violation of principles of natural justice.

15. This Court has perused the order of the Prescribed Authority from which it is evident that one of the materials for imposing the penalty upon the petitioner is the inspection report dated 13.1.2021. Even in the impugned order there is no averment that copy of the report dated 13.1.2021 was ever supplied and consequently there is no reason to disbelieve the stand of the petitioner. This ground was raised by the petitioner in the revision preferred before the State Government but despite raising this issue no finding has been returned by the revisional court nor the said ground has been considered.

16. In light of the above, both the impugned orders are set

J. K. Shukla

9

3139

aside. The matter is remitted back to the District Magistrate, Kanpur Nagar to pass fresh order after taking into account the reply submitted by the petitioner including the reply dated 3.2.2021 before passing any final order Copy of the inspection report dated 13.1.2021 should be handed over to the petitioner expeditiously say within one week from the date a certified copy of this order is produced before him. The petitioner shall have two weeks thereafter to file reply to the said inspection report and the District Magistrate is further direction to pass fresh order expeditiously say within a period of six weeks from the date of submission of reply by the petitioner in accordance with law.

17. In light of the above, the petition stand allowed.

Order Date :- 21.8.2023
RKM.

(Alok Mathur, J.)

Authenticated Copy

alish
26.08.2023

Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
Lucknow

V. K. Shukla

29

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 224 / तीस-उपखनिज / 2023

दिनांक: सितम्बर 12, 2023

श्री नागेन्द्र सिंह,
प्रो० मे० वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
निवासी 113 एम०आई०जी०-2
महावलीपुरम, कानपुर नगर।

कृपया आप द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित प्रार्थना पत्रों दिनांक 27.8.2023 के साथ संलग्न मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस० रिट पिटीशन नं० 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस० रिट पिटीशन नं० 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में श्री नागेन्द्र सिंह प्रो० मे० वैष्णवी इन्टरप्राइजेस जांच आख्या दिनांक 13.01.2021 उपलब्ध कसते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशक भूतत्व खनिकर्म उ०प्र० लखनऊ के आदेश दिनांक 12.1.2021 के अनुपालन में तहसील विल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौदा के गाटा संख्या 02मि० रकवा 10.50हे० के साधारण बालू का खनन पट्टा क्षेत्र का सयुक्त निरीक्षण दिनांक 13.1.2021 सर्वेक्षक हमीरपुर, खान निरीक्षक कानपुर नगर, खान अधिकारी मुख्यालय तथा तहसीलदार विल्हौर की आख्या दिनांक 13.1.2021 की प्रति एवं उक्त आख्या में उल्लिखित उप जिलाधिकारी विल्हौर की आख्या दिनांक 11.12.2020 जिसमें 54219घनमीटर अवैध बालू का खनन स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर होना पाया गया था जिसकी पुष्टि आख्या दिनांक 13.1.2021 में की गयी थी, की प्रति मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 21.8.2023 के अनुपालन में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त उल्लिखित आख्या दिनांक 13.1.2021 एवं दिनांक 12.12.2020 में उल्लिखित अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 14 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2023 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जा सकें।
संलग्नक- यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-

जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

1- जांच आख्या दिनांक 13-1-2021

2- उप जिलाधिकारी विल्हौर द्वारा प्रेषित पत्र
दिनांक 14/12/20 दिनांक 12-12-2020 एवं
तहसीलदार विल्हौर की आख्या दिनांक 11/12/2020

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।

उपरोक्त दोनों आख्याओं प्राप्त कर ली हैं।

(Nagendra Singh)
12/9/2023

U KASHUKK

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-1434/तीस-उपखनिज/2019

दिनांक: मई, 08, 2019

मे० वैष्णवी इन्टर प्राइजेज,
प्र० श्री नागेन्द्र सिंह
नि० एम०आई०जी०-२ महाबलीपुरम,
जनपद कानपुर नगर।

पट्टाधारक बालू खनन क्षेत्र कटरी सुनौदा तहसील बिल्हौर

नोटिस

शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा०)टीसीआई/2017 दिनांक 14.08.2017 के अर्न्तगत आपके पक्ष में ग्राम कटरी सुनौदा गाटा संख्या- 2मि० रकबा 10.5हे० में साधारण बालू के खनन हेतु पाँच वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 तक स्वीकृत है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ०प्र०) लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 29.04.2019 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन की जाँच हेतु जनपद जालौन, झॉंसी, कानपुर नगर/कानपुर देहात हेतु 01.05.19 से 10.05.2019 तक प्रवर्तन दल के अधिकारी के रूप में श्री नरेन्द्र कुमार प्राविधिक सहायक (रसायन) को नामित किया गया है कि जाँच आख्या दिनांक 05.05.2019 के अनुसार आपके स्वीकृत खनन क्षेत्र की जाँच में यह उल्लेख किया गया है कि बालू खनन पट्टा क्षेत्र कटरी सुनौदा का निरीक्षण किया गया जिसमें खनन पट्टा संचालित पाया गया बालू खनन क्षेत्र में सीमाकन दर्शाने के लिये लाल झण्डी लंगी पाई गई साथ ही खनन क्षेत्र पर खनिज मूल्य को दर्शाने वाला बोर्ड लगा पाया गया परन्तु बालू खनन क्षेत्र में खनन संकियाओ की मॉनिटरिंग हेतु लगे सी०सी०टी० कैमरा खराब पाया गया।

सी०सी०टी० कैमरा खराब पाया जाना उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के 35 (2) उल्लंघन है। जिसके लिये उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 59 (3) के अर्न्तगत यदि पट्टा धारक नियम-35 के उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रू० 25000/- की शास्ती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदग्रहित की जायेगी। ऐसी उदग्रहित शास्ती को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कत के आरोप में तत्काल आरोपित धनराशि रू० 25,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करते हुये चालान की एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि किन परिस्थियो में आप द्वारा सी०सी०टी० कैमरे नहीं अनुरक्षित किये गये, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि- तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बंधित को नोटिस तामील कराकर कर तामीला की एक प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
कानपुर नगर।

U. K. S. UKLA

9

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2

प्रपत्र संख्या - 8 ए (1)


(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- कोषागार / बैंक का नाम व शाखा SBI लखनऊ KNR(N)
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक) हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम श्री. श्री. सुबोध प्रसाद
 2. पता श्री. श्री. नारायण सिंह
 3. पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) जुमाना ए.एन.ए. -
 4. जमा की जा रही धनराशि का विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) यात्रा खर्च के लिए
 5. चालान की सकल राशि ₹ 25000/-
 6. चालान की निबल राशि
 7. लेखाशीर्षक का पूरा विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर 0853
 8. लेखा - शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उपमुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक उप-शीर्षक व्योरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



धनराशि (शब्दों में) एक लाख पचास हजार योज 25000/-
 चालान में लेख शीर्षक का पुष्टि करने वाले जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
 विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

दिनांक

8/5/19

7813231

1021102/10211/1021102/1021102
 9105809-1021102/1021102

17/05/19

..... शाखा में रु.

0853

कोषागार / बैंक की मुहर सहित

Handwritten signature

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

A-20

पत्रांक-1532/तीस-उपखनिज/2022-23

दिनांक: अगस्त 10, 2022

में वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
प्रो० नागेन्द्र सिंह गि०-113, एम०आइ०जी०-2
महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

नोटिस

आपके पक्ष में तहसील बिल्डर स्थित साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी गुनौदा की गाटा संख्या-2 में एक रकबा 10.50 हे० में ई-निविदा राह ई-नीलागी प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा का पट्टा बिलेख का निष्पादन दिनांक 07.04.2018 को कराते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। आपको इस वनमांलय द्वारा नोटिस संख्या 1460/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 27.06.2022, नोटिस संख्या 1469/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 05.06.2022 एवं नोटिस संख्या 1472/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 07.07.2022 निर्गत किया गया, जिसमें आप द्वारा दिनांक 29.06.2022, 07.07.2022 एवं 16.07.2022 द्वारा अपने पक्ष प्रस्तुत किया है। आप द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब/पक्ष मन्गदंत, एवं निराधार तथा तथ्यात्मक न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

संयुक्त जॉच टीम की आख्या दिनांक 21.06.2022 एवं खान अधिकारी कानपुर नगर के वाहन सूचनेनामा दिनांक 31.05.2022 तथा नोटिस संख्या 1472/तीस-उपखनिज/2022-23 दिनांक 07.07.2022 के अनुसार आप द्वारा किये गये 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू०-49,985/- एवं खनिमुख मूल्य रू०-2,49,925/- तथा नियम-60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू०-50,000/- कुल धनराशि रू०-3,49,910/-, आपके पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं थी। जिस पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू०-25000/- प्रति चूक 30 दिनों तक कुल रू०-25000×30=रू०-7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) व दो वाहनो पर ई०एम०एम०-11 पर अंकित उप खनिज की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाया जाने के कारण नियम-60(6) के तहत अर्थदण्ड रू०-50,000/- एवं तीन वाहनो पर लदे उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू० 5,927/- (पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू०-134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू०-11,55,837/- की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू०-49,985/- एवं खनिमुख मूल्य रू०-2,49,925/- तथा नियम-60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू०-50,000/- कुल धनराशि रू०-3,49,910/- व पट्टाधारक के पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं होने के कारण उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू० 25000/- प्रति चूक 30 दिनों तक कुल शास्ति-25,000×30=7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) व दो वाहनो पर ई०एम०एम०-11 पर अंकित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाये जाने के कारण नियम-60(6) के तहत अर्थदण्ड रू०-50,000/- एवं तीन वाहनो पर लदे कुल उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू०-5,927/- (पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू०-134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू०-11,55,837/- नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कर चालान की मूल प्रति उ०प्र० में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त धनराशि जमा प्राप्ति से समायोजित कर ली जायेगी तथा आपके पक्ष में अंकित पट्टा के निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(अतुल कुमार)

अपर जिलाधिकारी (नगर),
कानपुर नगर।

प्रतिनिधि-

1- जिलाधिकारी महादय को सादर अवलोकनार्थ।

2- तहसीलदार सदर को नोटिस की प्रतियों में इस निर्देश से प्रेषित की एक प्रति उपरोक्त पर तामीला उपरान्त उक्त मूल प्रति वापस कराना सुनिश्चित कर।

UJHSHUKK

9

अपर जिलाधिकारी (नगर),
कानपुर नगर।

समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर दिनांक 06.12.2020 शीर्षक "गंगा की धारा मोड़ प्रवाह क्षेत्र में खनन" व अटका बन्धी भासा धाट पर बालू निकालने को बन्धा लगाकर मोड़ की गयी धारा के कम में राजस्व टीम के साथ मिलकर जांच की गयी।

जांचोपरान्त पाया गया कि राजस्व ग्राम कटरी सुनीया परगना व तहसील विल्हौर जनपद कानपुर नगर में साधारण बालू खनने हेतु मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह निवासी एम०आई०जी०-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर के पक्ष में पंचवर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक गाटा नं० 2110 रकबा 10.500 हे० स्वीकृत हुआ। में वैष्णवी इण्टरप्राइजेज को कर्मचारीगण स्वीकृत एरिया में सजाया बालू का खनन करते पाये गये। साधारण बालू का खनन मशीनों द्वारा किया जा रहा है। खनन स्थल से गंगा की मुख्य धारा का प्रवाह लगभग 900मी० दूर स्थित है। खनन स्थल पर बन्धा बनाकर सजाया बालू का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, वरन खनन क्षेत्र में वाहनों के आयागमन हेतु रुकें हुए जल में सानाच रास्ता बना हुआ पाया गया। वास्तव में दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपे फोटो की स्थिति निर्धारित बालू खनन स्थल से लगभग 700मी० पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटका तहसील विल्हौर जनपद कानपुर नगर की है, जो वर्तमान में सपाट रूप में बन्धा के रूप में पाया गया। इस सपाट बन्धा के कारण खनन स्थल की ओर जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से बनी उपशाखा में जल का प्रवाह रुक गया है। इस सपाट बन्धा की वर्तमान में ऊंचाई गंगा नदी की उपशाखा के जल स्तर के समान है। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गंगा नदी में वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से इस आर बन्धी जा जाता है। अन्यथा मुख्य धारा का प्रवाह इस ओर नहीं रहता है। गंगा नदी जल का प्रवाह रोककर 3 से 4किमी० क्षेत्र तक बालू के टापू बनाकर साधारण बालू के खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है।

इन प्रकार जांच से यह स्पष्ट है कि गंगा नदी की मुख्य धारा में बन्धा बनाकर बालू खनन का कार्य नहीं होता पाया गया। मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो० नागेन्द्र सिंह निवासी एम०आई०जी०-2 महाबलीपुरम कानपुर नगर द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू का खनन कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के अनुसार गंगा नदी की उपशाखा में जल प्रवाह को सुचारु बनाये जाने हेतु सपाट बन्धा का हटाया जाना उचित होगा।

उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।

- संलग्नक- 1 स्थल के चित्र
- 2 स्थल की अवस्थिति के चित्र
- 3 फोटो रिपोर्टिंग की सी०डी०

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | |
| उप-विभागीय अधिकारी | राजस्व निरीक्षक | जान अधिकारी | तहसीलदार |
| कानपुर | कानपुर | कानपुर नगर | विल्हौर, कानपुर नगर |

महोदय, आपके द्वारा भिजे गये उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।
उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।
उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।
उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।
उक्त जांच्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।

Jyeshtha

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 12 न 4 / एम०-एन०जी०टी वाद/2022

दिनांक 10 नवंबर, 2023

विषय:-ओ०ए० संख्या-176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 30.05.2023 को पारित आदेश के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

".....53. In view of above discussion, CPCB and MoEF & CC are directed to look into the matter of categorization of Excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) in red or orange category and issue appropriate Notification clarifying categorization thereof as red or orange category within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order. Till issuance of such Notification, river sand mining shall continue to be treated to fall in red category. However in whichever category- red or orange excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) is so notified to fall, it shall be mandatory for all the Project Proponents to obtain CTE/CTOs from concerned SPCB/PCC and with effect from 01.09.2023 no river sand mining will be allowed to continue to operate in the entire India without obtaining consents from concerned SPCB/PCC and all the concerned Directors, Geology and Mining Department, the District Magistrates and the Commissioners/ Superintendents of Police of the concerned Districts shall ensure that no such mining is continued/operative without obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC. MOEF&CC is also directed to issue appropriate guidelines/OM within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order for ensuring that the requirement of obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC is uniformly made applicable to all the river bed sand mining projects throughout India....."

इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 1232/एम-एन०जी०टी० वाद/2022 दिनांक 31.10.2023 के क्रम में सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या G41904/सी-6/सा०-766/ओ०ए०-176/2022/2023 दिनांक 06.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time....."

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम की धारा-18 (1)(b) के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुसार 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं क्लस्टर में स्थापित खनन पट्टों को ताल श्रेणी एवं अन्य 05 हे० तक के खनन पट्टों को

J. K. Chakraborty



नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-25 के अन्तर्गत उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया या किसी अभिक्रिया एवं व्ययन प्रणाली की स्थापना या उसमें विस्तार अथवा परिवर्तन अथवा संचालन हेतु राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसी प्रकार वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना एवं संचालन हेतु भी राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा-2(के) के अन्तर्गत औद्योगिक संयंत्र के अन्तर्गत उद्योग या व्यापार जिससे वायु मण्डल में प्रदूषक उत्सर्जित हों सम्मिलित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम की धारा-18(1)(वी) के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरंग/बजरी आदि की खनन प्रक्रियाओं/संक्रियाओं हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एच.02653/सी0-2/सा0-348/23 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा Sand riverbed mining from riverbed and its floodplains (exculuding manual excavation) सम्बन्धी वर्गीकरण को अंगीकृत किया गया है।"

अतः कृपया सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 06.11.2023 व मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 एवं 17.10.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,
10/11/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। 0/0

संख्या 1274 / एम0-एन0जी0टी0 वाद / 2022 तददिनांक।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

10/11/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। 0/0

Jehankar

9